

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 282**  
**जिसका उत्तर 08 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।**

.....

**कृष्णा नदी जल की साझेदारी**

**282. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कितनी मात्रा में कृष्णा नदी के पानी का आवंटन किया गया है;
- (ख) क्या मंत्रालय ने अतिरिक्त पानी निकाले जाने के दावों की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या निष्कर्ष रहे हैं;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) से मंजूरी प्राप्त किए बिना पनबिजली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने के लिए नदी से पानी निकाला गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस राज्य ने ऐसा किया है और बिना मंजूरी प्राप्त किए नदी से कितनी मात्रा में पानी निकाला गया है;
- (ङ) क्या मंत्रालय ने उल्लंघन करने वाली पार्टियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) नदी के पानी के आवंटन पर अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रक्रिया का ब्यौरा और स्थिति क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टूडू)**

**(क):** कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-1) ने मई, 1976 के आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत अपनी अंतिम रिपोर्ट और निर्णय में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को 75% निर्भरता पर 811 टीएमसी जल का आवंटन किया है। 811 टीएमसी की उपरोक्त मात्रा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के हिस्से का निर्णय अब तक न तो एक समझौते के माध्यम से और न ही किसी न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सका है।

**(ख) और (ग):** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच ठोस जल आवंटन के अभाव में, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक 18 और 19 जून, 2015 को आयोजित एक बैठक में अस्थायी उपाय के रूप में दोनों राज्यों द्वारा जल वर्ष 2015-16 के लिए एक कार्य व्यवस्था पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। बाद के वर्षों के लिए कार्य व्यवस्था को शीर्ष परिषद (2016-17 के लिए) और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) (2017-18 से 2022-23 के लिए) द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अनुमोदित किया गया था। दोनों राज्य अनुमोदित कार्य व्यवस्था के अनुसार कृष्णा जल का आहरण/उपयोग कर रहे हैं।

**(घ) और (ङ):** श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पुलिचिंतला परियोजनाओं में आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच साझा जलाशय हैं, जिनमें राज्यों द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बांध अधिशेष की स्थिति के दौरान, दोनों राज्य अपने संबंधित विद्युत घरों की उत्पादन क्षमताओं के अनुसार अधिकतम विद्युत उत्पादन करते हैं। तथापि, अधिशेष न होने की अवधि के दौरान राज्यों से विद्युत उत्पादन को सीमित करने की अपेक्षा की जाती है ताकि दोनों राज्यों की सिंचाई और पेयजल की अनुप्रवाह आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जल वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, दोनों राज्य जल विद्युत उत्पादन को रोकने के लिए केआरएमबी से बार-बार अनुस्मारक देने के बावजूद गैर-अधिशेष अवधि में उपरोक्त आवश्यकता से भटक रहे हैं।

राज्यों द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए जलाशयों के कुप्रबंधन को हल करने के लिए, केआरएमबी ने उचित जलाशय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए श्रीशैलम और नागार्जुन सागर परियोजनाओं के पावरहाउसों के संचालन के लिए एक ठोस तंत्र विकसित करने के लिए एक उप-समिति (जलाशय प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है।

**(च):** कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों के बीच कृष्णा जल आवंटन पर निर्णय लेने का अधिकार है।

\*\*\*\*\*